फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण

बनाम

विपक्षी श्री वरदा व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या 12/22

दिनांक : 23.09.2025 कार्यवाही विवरण

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 657 की आराजी नम्बर 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 किता 5 रकबा 1.0100 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:52:37 IST
Reason: SelfAttested